न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 32/2025
दायर दिनांक : 14.10.2025
निर्णय दिनांक : 27.11.2025

उनवान

1. रमेशचन्द्र पिता लादूलाल प्रजापत निवासी भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार, भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री कृष्णकान्त प्रजापत, अधिवक्ता प्रार्थी

:: निर्णय ::

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया जिसके संक्षित में तथ्य इस प्रकार है कि :

यह है कि प्रार्थी की कृषि आराजियात ग्राम लुणेरा पटवार हल्का उसरोल तहसील भूपालसागर के हाल खाता सं. 435 में दर्ज हाल आ.सं. 2369/2365 रकबा 0.26 है. किता 1 रकबा 0.26 है. भूमि स्थित है। उक्त खातेदारी की आराजियात में जाने के लिये मुख्य सड़क जिसके आ.सं. 1984 से अप्रार्थी के नाम दर्ज आ.सं. 1982 रकबा 0.15 है. किस्म पड़त 1 में से होकर अपने खातेदारी आ.सं. 2369/2365 में आता जाता रहा हूं। वर्तमान में मौके पर आराजियात में आने जाने के लिए रास्ता बना हुआ है लेकिन उक्त रास्ता रिकार्ड में दर्ज नहीं है तथा मुझ प्रार्थी की आराजियात में आने जाने का एकमात्र आ.नं. 1982 रकबा 0.15 है. (सरकारी भूमि) से ही रास्ता है। मुझ प्रार्थी ने अपनी आराजियात में आने जाने हेतु मेरे खातेदारी आ.सं. 2369/2365 की उत्तर दिशा से 26 मीटर की दूरी पूर्व दिशा की मेड़ पर लोहे की फाटक लगा रखी है इसी रास्ते में प्रार्थी अपनी आराजियात में आता जाता रहा हूं। उक्त रास्ते के अलावा और कोई वैकल्पिल रास्ता नहीं है। वजह सबूत हाल जमाबंदी की प्रमाणित नकल, हाल प्रमाणित नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। हाल आ.सं. 1982 रकबा 0.15 है. के नक्शा ट्रेस में 40 फीट चौड़ा रास्ता कायम कर रास्ते के अलग से नंबर कायम किया जाना आवश्यक है। मैं प्रार्थी रास्ते के बदले न्यायालय आप द्वारा तय कानूनन राशि अदा करने को तैयार हूं। अतः रास्ता दिये जाने का आदेश प्रदान करावें।

1. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी राजपेरोकार द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट को ही जवाब माना जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भूपालसागर से बिन्दुवार रिपोर्ट मंगवाई गई।

2. प्रकरण में वकील प्रार्थी, वकील अप्रार्थी व राजपेरोकार की बहस सुनी। प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु रास्ता पास की भूमि आराजी से रास्ता दिया जाने हेतु निवेदन किया। राजपेरोकार भूपालसागर द्वारा अपनी बहस में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए रास्ता दिया जाने में कोई आपत्ति नही होना बताया।

3. हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार भूपालसागर से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

(1) क्या प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हां तो रास्ते का उल्लेख करे (मय नक्शा ट्रेस एवं नकल जमांबदी)
प्रकरण में तहसीलदार भूपालसागर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम लुणेरा स्थित प्रार्थी की खातेदारी आ. सं. 2369/2365 रकबा 0.26 है. में आने जाने बाबत आ.सं. 1982 किस्म बिलानाम सरकार से आता जाता है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।
(2) यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त ... नहीं है। इस आशय का प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.01 16:40:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

तहसीलदार, भूपालसागर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम लुणेरा के आ.सं. 2369/2365 में आने जाने बाबत आ.सं. 1982 में होकर निकटतम मार्ग है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

(3) यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थीगण की आराजीयात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावें।

रिपोर्ट तहसीलदार, मौका पर्चा व नक्शा ट्रेस संलग्न है।

(4) यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामें से रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास करें एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावें।

–रिपोर्ट तहसीलदार, भूपालसागर दि. 28.10.2025 संलग्न है।

(5) सहमति नहीं होने की स्थिति मे लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई × चौडाई) एवं क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षेत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें। (मय पर्चा मौका)

तहसीलदार, भूपालसागर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आ.सं. 1982 में से 9 मीटर चौडा लम्बाई 11 मीटर कुल 100 वर्गमीटर रास्ते हेतु प्रस्तावित की है। वर्तमान डी.एल.सी. दर 608040/– रूपये प्रति है0 से रकबा 100 वर्गमीटर की मालियत 6088/– रूपये बनती है। जिसका दुगुना करने पर कुल राशि 12177/– रूपये होती है।

कमिश्नर से प्राप्त उक्त रिपोर्ट्स अनुसार प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध करवाया जाने के लिये उक्त प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि लुणेरा पटवार हल्का उसरोल तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी न0 2369/2365 है। प्रार्थी की आराजीयात में आने जाने हेतु अप्रार्थी की आ.सं. 1982 में से रास्ता चाहा हैं। रास्ता दिये जाने में तहसीलदार भूपालसागर द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है व सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा लुणेरा पटवार हल्का उसरोल तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी न0 2369/2365 में आने जाने हेतु अप्रार्थी की आ.सं. 1982 में से 9X11= 100 वर्गमीटर है, जिसका जिसका राजस्व नक्शा ट्रेस व पर्चा मौका रिपोर्ट दिनांक 28.10.2025 संलग्न है, का रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात पर पहुंच हेतु कायम किया जावे। उक्त भूमि डीएलसी दर 608040/– रूपये प्रति हैक्टयर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 100 वर्गमीटर की कुल मालियत 6088/– रूपये का दुगुना 12177/– रूपये अक्षरे बारह हजार एक सौ सत्तेतर राशि प्रार्थी से वसूल कर अप्रार्थी को उपलब्ध करवायी जावे। उक्त राशि उपलब्ध कराने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा, केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावे। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार, भूपालसागर को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.01 16:40:56 IST
Reason: SelfAttested